



मीरजापुर पुलिस —प्रेस नोट—



दिनांक: 07.01.2025

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा नाबालिग 02 बहनों को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार —

थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 17.12.2024 को एक महिला द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग दोनों पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-225/2024 धारा 137(2),87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना प्रभारी अहरौरा को अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अहरौरा पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित दोनों अपहृता को बरामद कर मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक: 06.01.2025 को उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह व उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व मुखबिर सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्तगण 1. राम गोपाल पुत्र कलेक्टर लाल व 2. मुकेश कुमार पुत्र कलेक्टर लाल निवासीगण ग्राम बेहड़ा थाना महोली जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राम गोपाल पुत्र कलेक्टर लाल निवासी ग्राम बेहड़ा थाना महोली जनपद सीतापुर, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. मुकेश कुमार पुत्र कलेक्टर लाल निवासी ग्राम बेहड़ा थाना महोली जनपद सीतापुर, उम्र करीब 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 225/2025 धारा 137(2),87 बीएनएस थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ मय पुलिस टीम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह व उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम थाना अहरौरा मीरजापुर।

